

4. चयन प्रक्रिया:- लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के आधार पर।

(i) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे:-

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
1.	भाषा (अर्हता) एवं सामान्य अध्ययन	150 भाग-I-30, भाग-II-120	02:30 घंटे	150	प्राथमिक विद्यालय (वर्ग 1 से 5) के लिए ➤ यह पत्र दो भाग में होंगे यथा- भाग-I एवं भाग-II ➤ भाग-I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➤ भाग-II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। ➤ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ➤ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
2.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	मध्य विद्यालय (वर्ग 6-8) के लिए ➤ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III ➤ भाग-I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➤ भाग-II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➤ भाग-III- विषय पत्र के लिए उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। नोट:-वर्ग 6-8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अभ्यर्थी द्वारा Section-I में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ➤ उपरोक्त सभी विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ➤ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
3.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 9 से 10) एवं विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) के लिए ➤ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III ➤ भाग-I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➤ भाग-II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन

2

					इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➤ भाग-III- विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) एवं विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, संगीत, सामाजिक विज्ञान, बांग्ला, ललितकला, नृत्य, मैथिली, अरबी एवं फारसी। नोट-वर्ग 9-10 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अभ्यर्थी द्वारा Section-I में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ➤ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। ➤ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।
4.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	<u>उच्च माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 11-12) के लिए</u> ➤ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III ➤ भाग-I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➤ भाग-II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➤ भाग-III- उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, कम्प्यूटर साईंस, व्यवसायिक अध्ययन, उद्यमशीलता, लेखा, बांग्ला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी और फारसी। ➤ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। ➤ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।

• भाषा (अर्हता) भाग-I Qualifying होगा।

• यदि अभ्यर्थी किसी एक वर्ग के लिए जिस भाषा विषय का चयन कर लेते हैं, तो वही सभी वर्ग के लिए मान्य होंगे।

11

- सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जानेवाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objective) आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए $1/3$ (एक तिहाई) Negative Marking का प्रावधान होगा।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच विकल्प (A,B,C,D,E) प्रदान किये जायेंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर (A), (B), (C) या (D) में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो विकल्प (E) का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पाँचों विकल्प (A,B,C,D,E) में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित (Unanswered) प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए $1/3$ (एक तिहाई) अंक की कटौती की जायेगी।

नोट:-बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 की कंडिका-7(v) के आलोक में परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।

- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौत्तीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15937, दिनांक-01.09.2026 के आलोक में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए देय 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सहित निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक 32 प्रतिशत मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा।
- उक्त विज्ञापन हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।